सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 102/2008 (गत वाद संख्या 155/04)

वादीगण

1.लच्छाराम पुत्र बल्लाराम
2.मोहनराम पुत्र बल्लाराम
3.घासीराम उर्फ घीसाराम पुत्र खींवराम
समस्त जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण

1.रामूराम पुत्र किशनाराम
2.श्योरामाराम पुत्र किशनाराम
समस्त जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.188 R.T.Act

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 30/10/15

वादीगण के वाद का संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार हैः–

ग्राम चितावा तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 42, 43, 44 कुल रकबा 4.42 है0 व संखरा संख्या 1351/45 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा संख्या 51 रकबा 3.85 है0 स्थित है। खसरा संख्या 42, 43 व 44 एक ही चक में है तथा खसरा संख्या 51 व 1351/45 चारो ओर बाड़डोर बनी हुयी थी। वादीगण के कब्जासुदा खातेदारी में थीं। उक्त खातेदारी में प्रतिवादी गण वादीगण द्वारा बाड़डोर बनायी गयी को प्रतिवादीगण खसरा संख्या 1351/45 की बाड़डोर नष्ट कर खसरा संख्या 42, 44, 51 की पूरी सीमा की नष्ट करने पर उतारू होकर जबरन अतिक्रमण करने की धमकी देने पर वाद पेश किया है, इसलिए निवदेन है कि ग्राम चितावा के खसरा संख्या 1351/45 रकबा 0.72 है0 भूमि के उपयोग एवं उपभोग व वादीगण के कब्जा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे। खसरा संख्या 42, 44, 51 की पूरी सीमाओ को नष्ट ना करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावे। पत्रावली ग्राम चितावा तहसील कुचामन क्षेत्र में आने से एवं सहायक कलक्टर कुचामन में स्थित होने से पत्रावली उपखण्ड कार्यालय नावां से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुयी। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलवी जारी की गई। दिनांक 12.09.2011 को प्रतिवादीगण के समन तामिल होकर प्राप्त शा0मि0 है। प्रतिवादीगण गैर हाजिर होने पर एकतरफा की हुयी है। दिनांक 01.10.2015 को वादी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

मोहनराम का साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी को पेश होने पर शा0मि0 है। वादी गण ने बहस सुनाई, बहस सुनी। बहस में वकील वादी ने, वादीगण के वाद पत्र में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चितावा के खसरा संख्या 42, 43, 44 व 51 एवं 1351/45 के वादीगण सेपरेट खातेदार है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जासुदा खातेदारी खसरा संख्या 1351/45 की पश्चिमी व पूर्वी सीमा व खसरा संख्या 42, 44, 51 की पूर्वी सीमा की बाड़डोल नष्ट करने पर उतारू है। अगर ऐसा करने में प्रतिवादीगण कामयाब हो गये तो वादी गण को भारी नुकसान होगा। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

वकील वादीगण की बहस सुनी, वादीगण का वाद एवं संलग्न दस्तावेजात साक्ष्य व खतौनियां आदि का अवलोकन व वकील वादीगण के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओ, जिसमें प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के गैर हाजिर होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नही होने से तथा वाद में संलग्न में खतौनी वादीगण उक्त विवादित खसरान के सेपरेट खातेदार है, कब्जासुदा खातेदारी में अगर कोई व्यक्ति दखल अंदाजी करता है तो कानूनन उचित प्रतीत नही होने से न्यायालय का मत है विद्वान वकील वादीगण की बहस एवं वाद पत्र एव संलग्न का दस्तावेजात आदि का मनन व अवलोकन करने पर वादीगण का वाद धारा 188 आर.टी. एक्ट का काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है:–

आदेश

ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी में स्थित खसरा संख्या 1351/45 व 42, 43, 44, 51 वादीगण की खातेदारी में प्रतिवादीगण रामूराम, श्योरामाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चितावा के खसरा संख्या 1351/45 की पश्चिमी व पूर्वी सीमा व खसरा संख्या 42, 44, 51 की पूर्वी सीमा बाड़डोल आदि को नष्ट नही करे, न ही जबरन कब्जा करे। डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार कुचामन सिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/11/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)